

क्रम सं० :



ठेकेदारों के पंजीकरण / नवीनीकरण  
हेतु  
आवेदन पत्र विवरणिका  
वर्ष 2019–20 एवं 2020–21



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

₹ 500.00 + 18% G.S.T.

## विशेष सूचना

1. पंजीकरण, नवीनीकरण व उच्चीकरण वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 हेतु इस शर्त के साथ किये जाने प्रस्तावित है कि पंजीकरण की वैद्यता अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि सम्बन्धित ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि समाप्त हो जाती है, तो उसे वैद्यता अवधि समाप्त होने से पूर्व नया चरित्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि नया चरित्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा समयान्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया जाता है, तो चरित्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र की वैद्यता अवधि समाप्त होने की दिनांक से नया चरित्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक की अवधि में सम्बन्धित ठेकेदार का पंजीकरण स्वतः निलम्बित रहेगा व इस अवधि में ठेकेदार निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा व स्वतः जिम्मेदार होंगे।
2. पंजीकरण, उच्चीकरण व नवीनीकरण दो वित्तीय वर्ष हेतु किया जाना है। पंजीकरण, उच्चीकरण व नवीनीकरण हेतु शुल्क प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् ही जमा कराये जायेंगे। आवेदन के साथ प्रपत्र शुल्क एवं प्रक्रिया शुल्क जमा कराया जाना है। पंजीकरण / उच्चीकरण / नवीनीकरण शुल्क जमा कराने के पश्चात् उसकी एक प्रति सम्बन्धित वैयक्तिक सहायक (तकनीकी) कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

# मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

सिविल/विद्युतीकरण के कार्य हेतु ..... श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण वर्ष 2019-20 एवं 2020-21

## आवेदन-पत्र

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,  
मुरादाबाद

आवेदन पत्र का क्रमांक :-

- 1- आवेदक ठेकेदार/फर्म का नाम .....  
टिक करें - 1. व्यक्ति/प्रोपराईटर  2. अविभाजित हिन्दू परिवार  3. इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म  4. कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी  5. अन्य

(स्वामित्व/पार्टनरशिप/पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) (संलग्नक सं० .....) )

- 2- आवेदक ठेकेदार/फर्म का पता .....

- 3- पार्टनरशिप/कम्पनी फर्म की स्थिति में -

क्र०सं०	पार्टनर/डायरेक्टर का नाम	पिता का नाम	पता

- 4- आवेदक ठेकेदार फर्म के मालिक/पार्टनर के प्राधिकरण में अन्य किसी ठेकेदार फर्मों में मालिक अथवा पार्टनर नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं०.....
- 5- प्रोपराईटर फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के किसी भी पार्टनर के निकट के रिश्तेदार/ब्लड रिलेशन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं०.....
- 6- दो नवीनतम फोटो (समस्त भागीदारों की) संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं०.....
- 7- वित्तीय-स्थिति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं०.....
- 8- पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र एवं सत्यापित निवास स्थान व पता। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं०.....
- 9- आयकर विभाग से जारी फर्म/कम्पनी का पैन नम्बर एवं विगत 03 वित्तीय वर्ष का आईटी0आर0 व बैलेन्स शीट की छायाप्रति। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं०.....
- 10- जी0एस0टी0 का पंजीकरण। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं०.....
- 11- श्रम संविदा (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम 1970 एवं नियमावली 1975 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं०.....
- 12- विद्युतीकरण के कार्यों के लिये उ0प्र0 राज्य विद्युत सुरक्षा परिषद् के अनुमोदित लाईसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं०.....
- 13- पिछले चार वर्षों में किये गये निर्माण/विकास कार्यों के विवरण की सूची। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं०.....

- 14- अधी0अभि0 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्गत कार्य एवं आचरण संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं0.....
- 15- अनुभव प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं0.....

क्र0सं0	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष	धनांक

- 16- निर्माण कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी की सूची का नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं0.....
- 17- स्टाफ की संख्या, नाम व पते का नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं0.....
- 18- कार्यरत् डिग्री/डिप्लोमा धारक अभियन्ता की डिग्री/डिप्लोमा की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं उनके नियुक्ति-पत्र की प्रतिलिपि व फोटो। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं0.....
- 19- किसी अन्य राजकीय विभाग/सार्वजनिक प्रतिष्ठान से डिबार/काली सूची में दर्ज नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र तथा बार काउंसिल का सदस्य न होने का शपथ पत्र। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं0.....
- 20- विभागों की सूची जिसमें ठेकेदार/फर्म सिविल/विद्युत ठेकेदार के रूप में पंजीकृत है। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं0.....
- 21- इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि प्रस्तुत किये गये अभिलेख यदि असत्य पाये जाते हैं, तो फर्म के पंजीकरण को निरस्त करते हुए विभाग विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा। संलग्न है/ नहीं है संलग्नक सं0.....

### आवेदक





नाम - .....

पता - .....

पैन कार्ड नं0 .....

ई-मेल - .....

मोबाईल नं0 .....



हस्ताक्षर

नोट :- 1. अधिक विवरण होने पर अलग से शीट संलग्न करें।

2. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करने होंगे।

दिनांक :- .....

## मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नियम व शर्तें

1. पंजीकरण हेतु आवेदक ठेकेदारों की परिभाषा में व्यक्ति, अविभाजित हिन्दू परिवार, इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म, पब्लिक अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी आदि शामिल है।
2. उ०प्र० राजकीय, निर्माण निगम उ०प्र० राज्य सेतु निगम, जल निगम अथवा अन्य प्रादेशिक एवं भारत सरकार के अधीन कार्यदायी संस्थायें/उपक्रम पंजीकरण से मुक्त है।
3. आवेदनकर्ता को राज्य विधि कौंसिल में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
4. कोई ऐसा व्यक्ति जिसने प्राधिकरण में सेवा की हो तो सेवा निवृत्ति के पश्चात् 02 वर्ष की अवधि समाप्त के बाद ही, वह पंजीकरण हेतु पात्र होगा।
5. एक व्यक्ति केवल एक ही फर्म का मालिक/पार्टनर हो सकता है। ठेकेदार का पंजीकरण/नवीनीकरण एक ही फर्म का किया जायेगा। यदि किसी फर्म का मालिक/पार्टनर अन्य फर्म में भी मालिक/पार्टनर पाया जाता है, तो जो फर्म बाद में पंजीकृत होगी, उस फर्म का पंजीकरण/नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
6. यदि कोई ठेकेदार सिविल एवं विद्युत दोनों कार्य हेतु पात्रता रखता है, तो उसे पंजीकरण हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
7. प्रार्थना पत्र के साथ नवीनतम फोटो संलग्न करनी होगी।
8. फर्म को आयकर कार्यालय द्वारा निर्गत पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
9. परिशिष्ट-3 के अनुसार आवश्यक न्यूनतम हैसियत का प्रमाण पत्र, जो फर्म के नाम से अथवा फर्म के प्रोपराईटर अथवा पार्टनर के नाम से जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर द्वारा निर्गत हो एवं वैधता अवधि के अन्तर्गत हो, प्रस्तुत करना होगा।
10. आवेदक फर्म को नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र, कि उसे किसी अन्य राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/सार्वजनिक प्रतिष्ठान द्वारा डिबार/काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है, देना अनिवार्य होगा।
11. इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि कोई भी पार्टनर अथवा निकट का रिश्तेदार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं हैं, रिश्तेदार से तात्पर्य इस सभी से होगा-माता, पिता, भाई, बहन, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, जीजा, साला, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा, भान्जा एवं चचेरा, फूफेरा, ममेरा एवं मौसेरा भाई तथा इन सभी के कोरसपोंडिंग इन लॉ। यदि किसी भी समय इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
12. ठेकेदार द्वारा आयकर विभाग में दाखिल पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की सत्यापित छायाप्रति एवं बैलेन्सशीट देनी होगी।
13. विद्युतीकरण के कार्यों के लिए उ०प्र० राज्य विद्युत सुरक्षा परिषद से अनुमोदित लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा।
14. ठेकेदार द्वारा G.S.T. विभाग में पंजीकरण का सर्टिफिकेट देना होगा।
15. अनुभव प्रमाण पत्र :- विभिन्न श्रेणियों में पंजीकरण हेतु ठेकेदार/फर्म को राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं में किये गये कार्य संतोषजनक रूप से करने का निम्नानुसार अनुभव होना चाहिए एवं जिसका प्रमाण-पत्र न्यूनतम सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता स्तर द्वारा निर्गत किया होना चाहिए।

क्र०सं०	श्रेणी	आवश्यक न्यूनतम अनुभव
1	“ए+”	गत 04 वर्षों में कम से कम ₹0 500.00 लाख के कार्यों का संतोषजनक सम्पादन जिसमें से 02 कार्य ₹0 100.00 लाख (प्रत्येक) से अधिक मूल्य के हो।
2	“ए”	गत 04 वर्षों में कम से कम ₹0 200.00 लाख के कार्यों का संतोषजनक सम्पादन जिसमें से 02 कार्य ₹0 50.00 लाख (प्रत्येक) से अधिक मूल्य के हो।
3	“बी”	गत 04 वर्षों में कम से कम ₹0 50.00 लाख के कार्यों का संतोषजनक सम्पादन जिसमें से 02 कार्य ₹0 15.00 लाख (प्रत्येक) से अधिक मूल्य के हो।
4	“सी”	गत 04 वर्षों में कम से कम ₹0 25.00 लाख के कार्यों का संतोषजनक सम्पादन जिसमें से 02 कार्य ₹0 05.00 लाख (प्रत्येक) से अधिक मूल्य के हो।
5	“डी”	अनुभव आवश्यक नहीं

16. बी०ई०/बीटेक(सिविल) एवं समकक्ष डिग्रीधारकों का पंजीकरण प्रोपराईटर फर्म के रूप में बिना किसी अनुभव के “बी” श्रेणी में एवं डिप्लोमाधारी सिविल के अभ्यर्थियों का पंजीकरण बिना किसी अनुभव के “सी” श्रेणी में किया जा सकता है। किसी फर्म के पार्टनर होने की दशा में यह लागू नहीं होगा।

17. परिशिष्ट संख्या-1 के अनुसार न्यूनतम आवश्यक स्टाफ फर्म में कार्यरत् होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्टाफ की डिग्री/डिप्लोमा की प्रमाणित प्रतिलिपि, नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि व फोटो भी शपथ पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने होंगे।
18. फर्म/ठेकेदार द्वारा उनके पास निर्माण हेतु आवश्यक उपलब्ध मशीनरी का विवरण परिशिष्ट-2 के अनुसार शपथ पत्र पर प्रस्तुत करना होगा।
19. पंजीकरण के समय आवेदन पुस्तिका शुल्क रू0 590.00 के अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क (जो किसी भी दशा में वापिस न होगा) निम्न तालिका के अनुसार देय होगा। बिना प्रक्रिया शुल्क के पंजीकरण के विषय में विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। पंजीकरण/नवीनीकरण की स्वीकृति उपरान्त पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार देय होगा, जो निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण/नवीनीकरण निर्धारित वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक मान्य होगा। निर्धारित अवधि में शुल्क न जमा कराने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

क्र0सं0	श्रेणी	प्रक्रिया शुल्क	पंजीकरण	नवीनीकरण
1.	“ए+”	रू0 6,000.00	रू0 30,000.00	रू0 15,000.00
2.	“ए”	रू0 4,800.00	रू0 24,000.00	रू0 12,000.00
3.	“बी”	रू0 2,400.00	रू0 18,000.00	रू0 9,000.00
4.	“सी”	रू0 1,200.00	रू0 12,000.00	रू0 6,000.00
5.	“डी”	रू0 6,00.00	रू0 6,000.00	रू0 3,000.00

**नोट :-** निविदाओं में विशिष्ट श्रेणी में ऐसे सफल निविदादाता, जो प्राधिकरण में पूर्व पंजीकृत नहीं है, को पंजीकरण कराने पर कार्य की श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

20. यदि कोई ठेकेदार/फर्म गत वर्ष में अपना नवीनीकरण नहीं करा पायी थी, तो गत वर्ष का नवीनीकरण शुल्क एवं निम्नवत् अर्धदण्ड जमा कराते हुए नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र देना होगा। एक वर्ष से अधिक नवीनीकरण न कराये जाने पर पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा।

श्रेणी	अर्धदण्ड
1. 'ए+'	रू0 10,000.00
2. 'ए'	रू0 7,000.00
3. 'बी'	रू0 4,750.00
4. 'सी'	रू0 3,000.00
5. 'डी'	रू0 1,200.00

21. प्राधिकरण में किसी श्रेणी में पूर्व पंजीकृत फर्म के वांछित श्रेणी में उच्चीकरण/निम्नीकरण हेतु उस श्रेणी के पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन में पूर्व पंजीकरण का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
22. नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदनों (उच्चीकरण/निम्नीकरण हेतु पंजीकरण के आवेदनों सहित) में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधीक्षण अभियन्ता से कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न किया जाना होगा।
23. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करने होंगे।
24. प्रत्येक वित्तीय-वर्ष के आरम्भ में माह-अप्रैल में जब तक कि पिछले से पंजीकृत ठेकेदारों के नवीनीकरण अथवा नये ठेकेदारों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक विभिन्न श्रेणियों में पहले से पंजीकृत तथा नये पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले सभी ठेकेदार जिन्होंने नवीनीकरण/पंजीकरण हेतु सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर दी हैं, निविदा क्रय/डालने हेतु अधिकृत होंगे।
25. पंजीकृत ठेकेदार को नियमावली, विनियमों, उपविधियों, शासन के सामान्य और विशिष्ट निर्देशों तथा आदेशों, प्राधिकरण की सामान्य शर्तों, निर्देशों का पूर्णतया: पालन करना अनिवार्य एवं बाध्यकारी होगा। निविदा, अनुबन्ध, स्टाम्प ड्यूटी, व्यापार कर, आयकर एवं अन्य के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा जारी निर्देशों अथवा उपर्युक्त नियमों के संशोधन ठेकेदार को मान्य होगा।
26. श्रम संविदा (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम 1970 एवं नियमावली 1975 के प्राविधान के अन्तर्गत पंजीकरण, श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की देयता एवं नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधायें अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। (अन्यथा की स्थिति में नवीनीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा)
27. ठेकेदार निविदा स्वीकृति के पश्चात् उस कार्य को किसी भी दशा में सबलेट नहीं कर सकेगा।

28. विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय करना, अनुबन्ध करना एवं देयको आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत, कोई एक व्यक्ति ही करेगा, परन्तु अधिकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में दिये गये अधिकार पत्र के साथ शपथ पत्र देना होगा।
29. पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक के कार्य हेतु निविदा में प्रतिभाग कर सकता है।
30. निर्माण कार्य पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार वांछित मशीनरी व तकनीकी स्टाफ रखना होगा।
31. पंजीकृत ठेकेदारों को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, कार्य जानबूझकर निर्धारित समयमावधि में पूरा न करना, तथ्यों को छुपाकर विभाग को गुमराह करना, विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को डरा धमकाकर कार्य करना, प्राधिकरण के अभिलेखों से कपटपूर्ण कार्य करना तथा अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को ब्लैक-लिस्ट करने, काली सूची में दर्ज करने, युक्तियुक्त अर्थदण्ड लगाने तथा निविदाओं में प्रतिभाग करने से रोक लगाने का अधिकार सचिव/मुख्य अभियन्ता को होगा। ब्लैक-लिस्ट होने की दशा में ठेकेदार के समस्त देयक जब्त कर लिये जायेंगे। फर्म के प्रोपराइटर अथवा भागीदार पुनः पंजीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे तथा न किसी फर्म के भागीदार हो सकेंगे।
32. यदि कोई फर्म/ठेकेदार किन्हीं कारणों से प्राधिकरण द्वारा ब्लैक-लिस्ट कर दी जाती है, तो इस फर्म के मालिक या कोई पार्टनर यदि किसी अन्य फर्म का पार्टनर या मालिक है, तो वह फर्म भी स्वतः ब्लैक लिस्ट हो जायेगी। ठेकेदार द्वारा निविदा डालने के पश्चात् प्रथम न्यूनतम होने पर कार्य करने में किसी भी स्थिति में असमर्थता दर्शाने पर जमानत धनराशि जब्त करते हुए न्यूनतम 06 माह तक आगामी निविदाओं में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित रहेंगे।
33. कोई भी शर्त बिना किसी भी पूर्व सूचना के समाप्त, सम्मिलित अथवा संशोधित/शिथिल करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित है।
34. आवेदन-पत्र के साथ वांछित अभिलेख न जमा करने पर आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, परन्तु अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु एक या अधिक अवसर प्रदान करने का अधिकार मुख्य अभियन्ता/सचिव, मु0वि0प्रा0 को होगा।
35. पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदन-पत्र को बिना कारण बताये निरस्त/रद्द करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद में निहित है।
36. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विवाद की मध्यस्थता स्वयं करें या प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता अथवा किसी अन्य अधिकारी को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर दें। इस प्रक्रिया में अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष का मान्य होगा।
37. किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

**उपरोक्त सभी शर्त एवं नियम मुझे/हमें मान्य है।**

**आवेदक**

नाम - .....

स्थायी पता - .....

पत्र व्यवहार का पता - .....

मोबाईल नं० .....

हस्ताक्षर .....

परिशिष्ट संख्या-1					
न्यूनतम आवश्यक तकनीकी स्टॉफ					
श्रेणी	ए+ श्रेणी	'ए' श्रेणी	'बी' श्रेणी	'सी' श्रेणी	'डी' श्रेणी
सिविल	एक सिविल इंजीनियर डिग्री होल्डर एवं 02 सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर एवं लाईसेंस प्लम्बर	एक सिविल इंजीनियर डिग्री होल्डर एवं 01 सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर एवं लाईसेंस प्लम्बर	एक सिविल इंजीनियर डिग्री होल्डर अथवा 01 सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर एवं लाईसेंस प्लम्बर	एक सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर	-
विद्युत	एक विद्युत इंजीनियर डिग्री होल्डर एवं 02 विद्युत इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर व लाईसेंस इलैक्ट्रीशियन	एक विद्युत इंजीनियर डिग्री होल्डर एवं 01 विद्युत इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर व लाईसेंस इलैक्ट्रीशियन	एक विद्युत इंजीनियर डिग्री होल्डर अथवा 01 विद्युत इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर एवं लाईसेंस इलैक्ट्रीशियन	एक लाईसेंस इलैक्ट्रीशियन	-

परिशिष्ट संख्या-2						
निर्माण कार्यों पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूचना :-						
क्र०सं०	मशीनरी का नाम	'ए+' श्रेणी	'ए' श्रेणी	'बी' श्रेणी	'सी' श्रेणी	'डी' श्रेणी
1.	कंकरीट मिक्सर	2	2	1	1	-
2.	बाईब्रटर्स (प्लेट एवं पिन)	3	3	2	1	-
3.	पम्पस	2	2	1	1	-
4.	शटरिंग (भवन निर्माण के लिए)	500 वर्गमी०	500 वर्गमी०	200 वर्गमी०	100 वर्गमी०	-
5.	डीजल विनचिस 65 टन क्षमता का	2	2	1	-	-
6.	डीजल जनरेटिंग सेट 25 किलोवाट (सेतु के लिए)	1	1	-	-	-
7.	ट्रैक्टर (केवल सड़क के लिए)	1	1	-	-	-
8.	शीप फुट रोड रोलर (केवल सड़क के लिए)	2	2	1	-	-

परिशिष्ट संख्या-3		
कार्य की राशि (रूपये में)	श्रेणी	पंजीकरण हेतु आवश्यक हैसियत प्रमाण पत्र
200 लाख से अधिक	'ए+'	रु० 75.00 लाख
50 लाख से अधिक व 200 लाख तक	'ए'	रु० 50.00 लाख
25 लाख से अधिक व 50 लाख तक	'बी'	रु० 30.00 लाख
10 लाख से अधिक व 25 लाख तक	'सी'	रु० 10.00 लाख
10 लाख तक	'डी'	रु० 5.00 लाख

**नोट :-** आवेदन पत्र के साथ केवल पुस्तिका शुल्क एवं प्रक्रिया शुल्क जमा करना होगा।



**मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद**

हरिद्वार रोड, राजकीय पॉलिटेक्निक के सामने, मुरादाबाद, उ०प्र०-244001

Website :- [www.mdamoradabad.org](http://www.mdamoradabad.org)

E-mail :- [mdamoradabad2019@gmail.com](mailto:mdamoradabad2019@gmail.com)